मेसर्स श्रिया इनर्जी लि0, जी–17, सेक्टर–27 नोयडा द्वारा द्रवीकृत प्राकृतिक गैस पर आधारित 280 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट स्थापित किये जाने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के पूर्व लोक सुनवाई हेतु कार्यवृत्तः –

मेसर्स श्रिया इनर्जी लि0, जी–17, सेक्टर–27 नोयडा द्वारा उपरोक्त प्रस्तावित क्षमता के पावर प्लांट की स्थापना हेतु पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तावित स्थल रायबरेली नगर स्थित रतापुर चौराहे से अमावॉ–फैजाबाद मार्ग पर लगभग 5 किमी0 की दूरी पर ग्राम–चकदादर, ब्लाक–अमावॉ, तहसील–सदर, जनपद–रायबरेली में स्थित है। परियोजना की कुल लागत लगभग 1047 करोड रूपया है। प्रस्तावित उद्योग स्थापना हेतु लगभग 50 एकड भूमि प्रस्तावित है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना सं. एस.ओ.1533 दिनॉक 14–09–06 के अनुपालन में प्रकरण के निस्तारण से पूर्व लोक सुनवाई करवाया जाना अनिवार्य है, जिसके अनुपालन में जिलाधिकारी, रायबरेली महोदय द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निम्न लिखित सदस्यों के पैनल का गठन किया गया है, जिसके नामित सदस्य निम्नवत है : –

1– जिलाधिकारी रायबरेली या नामित अधिकारी।
2– जिला पंचायत, नगर पालिका परिषद, रायबरेली के अन्तर्गत तीन सम्मानित सदस्य।
3– महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रायबरेली।
4– पर्यावरण विभाग (क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली)

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुपालन में स्थानीय स्तर पर दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान में दिनॉक 05–05–09 को लोक सुनवाई हेतु अधिसूचना प्रकाशित करायी गयी।

दिनॉक 10–06–09 को दोपहर 12.00 बजे कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन, रायबरेली में लोक सुनवाई की प्रकिया प्रारम्भ की गयी जिसमें निम्नवत उपस्थिति रही।

क्र. स.	नाम	पता
1	डा0 चरन जीत सिंह बख्शी	जिलाधिकारी , रायबरेली
2	श्री बी0 एन0 सिंह	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र , रायबरेली
3	श्री एम0 एस0 खान	सहायक प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द, रायबरेली
4	श्री वी0 के0 अस्थाना, सहा0 पर्या0 अभि0	उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड , रायबरेली
5	श्री बी0 पी0 मौर्य , वैज्ञानिक सहायक	उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड , रायबरेली
6	श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा , वैज्ञानिक सहायक	उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड , रायबरेली
7	श्री डी0 सी0 मिश्र, अनुश्रवण सहायक	उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड , रायबरेली
8	श्री इन्द्र पाल , टंकक लिपिक	उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड , रायबरेली

AEE

9	श्री प्रमोद दीक्षित, टंकक लिपिक	उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड , रायबरेली
10	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह यादव सहा0 अभि0	शारदा सहायक खण्ड 28 एच0 डी0 आर0
11	श्री गोपी चन्द्र , जे0 ई0	सिं0 ख0 , उन्नाव
12	श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, जे0 ई0	सिं0 खं0 , रायबरेली
13	श्री राम नगीना सिंह , जे0 ई0	लघु नहर खण्ड , लखनऊ
14	श्री जय प्रकाश सहायक अभियन्ता	नलकूप खण्ड, रायबरेली
15	श्री रमेश चन्द्र , ए0 इ0	नलकूप खण्ड, रायबरेली
16	श्री छोटे लाल	पंपारीयन
17	श्री राम लखन मौर्य	सिजनी
18	श्री वीरेन्द्र कुमार	कोडरा
19	श्री राधे श्याम सिंह	कोडरा
20	श्री बच्चू लाल	पडरई
21	श्री सुरेन्द्र	खसपरी
22	श्री बजरंगी	कोड़रा
23	श्री हुबलाल	खसपरी
24	श्री रमेश	खसपरी
25	श्री जितेन्द्र	चकदादर
26	श्री राम किशन मौर्या	रसेहता तकिया
27	श्री बच्चू लाल	खसपरी
28	श्री पप्पू सिह	चकदादर
29	श्री आशीष श्रीवास्तव , कर अधीक्षक	नगर पालिका परिषद, रायबरेली।
30	श्री एस0 के0 लाल	चकदादार
31	श्री सुनील	खसपरी
32	श्री सौरभ तिवारी	श्रिया इनर्जी

लोक सुनवाई प्रारम्भ करते हुए मेसर्स श्रिया इनर्जी लि0, जी–17, सेक्टर–27 नोयडा के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सौरभ तिवारी द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत प्रस्तुति की गयी जिसमें तकनीकी सामाजिक वित्तीय एवम् पर्यावरणीय महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर उपस्थित जनों के सम्मुख विस्तार से चर्चा की गयी।

प्राप्त प्रस्ताव एवम् संस्तुति के अनुसार प्रस्तावित उद्योग जनपद रायबरेली , ग्राम चकदादर , ब्लाक अमॉवा , तहसील सदर के अर्न्तगत रायबरेली स्थित रतापुर चौराहे से अमॉवा फैजाबाद मार्ग पर लगभग 5 किमी0 दूर प्रस्तावित है।

प्रस्तावित उद्योग द्रवीकृत प्राकृतिक गैस आधारित प्रथम चरण में 280 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जिसके उपरान्त द्वितीय चरण में एक और उत्पादन इकाई प्रस्तावित है। सन्दर्भित उद्योग की परियोजना लागत कुल रूपया 1047 करोड़ है। प्रस्तावित परियोजना फिजिका साइन्टिफिक , न्यूजीलैण्ड के तकनीकी एवम् वितीय सहयोग से स्थापित किया जायेगा तथा उत्पादन हेतु ईधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति गैस अथारिटी आफ इण्डिया द्वारा की जायेगी। गैस आपूर्ति हेतु प्रस्तावित स्थल से

AEE

लगभग 3.5 किमी0 आगे मुख्य मार्ग के सांनिकट गैस अथारिटी आफ इण्डिया का गैस बिन्दु स्थापित है। प्राप्त अभिलेखों के अनुसार प्रस्तावित उद्योग हेतु 50 एकड़ भूमि के क्षेत्रफल की आवश्यकता थी जो प्रस्तुती के समय आवश्यक कारणों से प्रस्तावित उद्योग हेतु मात्र 12 ऐकड़ भूमि आवश्यक बतायी गयी । उद्योग प्रतिनिधि द्वारा 13 एकड़ भूमि कय किया जाना सूचित किया गया।

परियोजना प्रस्ताव द्वारा विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना हेतु आधार मूलत ः प्रदेश में आवश्यकता से कम विद्युत उत्पादन की स्थिति एवम् विद्युत अधिनियम 2003 में निहित प्रविधानों के प्रोत्साहन बिन्दुओं को बताया गया है।

प्रस्तावित परियोजना के निर्माण में लगभग 24 माह की अधिकतम समय सीमा बतायी गयी। जिसे प्रयास कर लगभग 18 माह में पूर्ण किया जाना बताया गया । उद्योग में औद्योगिक जल खपत 9000 किली0 / दिन एवम् घरेलू जल खपत 1.61 किली0 / दिन सूचित किया गया है। जल की आपूर्ति का मुख्य सोर्स भूमिगत जल है।

प्राप्त अभिलैखानुसार उत्प्रवाह के रूप में केवल घरेलू उत्प्रवाह 1.288 किली0/ दिन निस्तारित किया जाना सूचित किया गया हे। फ्लोर वांशिंग/ कूलिंग आदि से जनंति उत्प्रवाह को शुद्धिकृत आंशिक रूप से रिसाइकिल कर एवम् शेष जल सिंचाई कार्यो में प्रयोग किया जाना सूचित किया गया है। प्रकिया से जनित उत्प्रवाह की मात्रा को सूचित नहीं किया गया है। उद्योग द्वारा घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु सेंप्टिक टैंक / सोक पिट का प्रस्ताव दिया गया है। औद्योगिक उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त है डिजाइन डिटेल वॉछित है। प्रस्तावित उद्योग में ईधन के रूप में द्रवीकृत प्राकृतिक गैस 1.214 मिलियन स्टैण्डर्ड घन मीटर प्रतिदिन प्रयोग किया जायेगा। डी0 जी0 सेट हेतु डीजल का प्रयोग किया जायेगा। वायु प्रदूषण सोर्स के रूप में ब्यायलर एवम् डी0 जी0 सेट है। प्रस्तावित उद्योग के प्रथम बार संचालित होने तक 3.300 किलोवाट क्षमता का डी0 जी0 सेट स्थापित किया जायेगा। जिसका संचालन वर्ष में 60 बार 20 मिनट की अवधि हेतु किया जायेगा। इसके अलावॉ निर्माणाधीन ईकाई में एक डीजल चालित विद्युत संयंत्र लगभग 10 माह हेतु संचालित किया जायेगा। प्लाण्ट स्थापना के पश्चात् 1000 के0 वी0 ए0 क्षमता का डी0 जी0 सेट स्थपित किया जाना प्रस्तावित है।

वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु ई0 एस0 पी0 एवम् निर्धारित ऊॅचाई की चिमनी प्रस्तावित है डिजाइन डिटेल एवम् विवरण वांछित है।

प्रस्तावित विद्युत संयंत्र में ध्वंनि प्रदूषण की संभावना अधिक रहती है। जिसके नियन्त्रण हेतु हेतु डी0 जी0 सेट पर एकास्टिक इन्क्लोजर सहित रूम , डी0 जी0 सेट पर साइलेन्सर एवम् मफलर्स का प्रविधान , कम ध्वनि प्रदूषणकारी इक्यूपमेण्ट का चयन एवम् पर्याप्त मात्रा में वृक्षा रोपड़ प्रस्तावित है।

पर्यावरणीय अनुश्रवण

उद्योग द्वारा प्रदूषण नियन्त्रण हेतु स्थापित संयत्र की नियमित अनुश्रवण किया जाना प्रस्तावित है। वायु अनुश्वण हेतु एम्बिएण्ट वायु गुणता की जॉच हेतु उद्योग परिसर के बाहर 3 स्टेशन की स्थापना एवम् प्रति सप्ताह दो बार अनुश्रवण किया जाना प्रस्तावित है। प्लाण्ट बाउॅड्री पर 4 स्टेशन की स्थापना प्रस्तावित है जिसमें प्रति सप्ताह दो बार अनुश्रवण प्रस्तावित है।स्टेक से जनित उर्त्सजन की जॅच हेतु प्रतिदिन अनुश्रवण प्रस्तावित है। ध्वनि प्रदूषण के अनुश्रवण हेतु प्रतिदिन दिन एवम् रात में अनुश्रवण प्रस्तावित है। ग्राउण्ड वाटर एवम् वेस्ट वाटर की टेस्टिंग प्रतिदिन किया जाना प्रस्तावित है।

ग्रीन बेल्ट

ग्रीन बेल्ट प्रस्ताव के अर्न्तगत प्लाण्ट बाउण्ड्री के चारों ओर 25 मी0 से 50 मी0 चौडी ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना प्रस्तावित है। कुल क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत ग्रीन बेल्ट क्षेत्रफल के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। लान एवम् गार्डेन का विकाश किया जाना भी प्रस्तावित है।

उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित उद्योग में लगभग 700 लोगों को डायरेक्ट / इनडायरेक्ट रोजगार दिया जायेगा। उद्योग में कुल नियमित कार्मिक के रूप में 89 एवम् संविदा कार्मिक के रूप में 13 कर्म चारी कार्य करेंगे।

AEE

उपस्थित जन द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्ताव का समुचित श्रवण एवम् समग्र विवेचन किया गया तथा वस्तु विषय पर जिज्ञासु प्रश्न किये गये। गठित समिति के अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित जन से सुझाव के साथ उनकी अपत्तियों को आमंत्रित किया गया। आपत्ति एवम् समाधान का विवरण निम्नवत् है।

प्रश्न 1 महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र रायबरेली द्वारा उधोग में स्थापित कालोनी से जनित घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण एवम् घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई।

उत्तर ः – उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग में लगभग 200 व्यक्तियों के आवास की व्यवस्था हेतु छोटे भवन का निर्माण प्रस्तावित है। घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु सेप्टिक टैंक / सेाक पिट प्रस्तावित है।

प्रश्न 2 उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के सहायक पर्यवरण अभियन्ता श्री वी0 के0 अस्थाना द्वारा प्रस्तावित प्लाण्ट का कुल क्षेत्रफल एवम् उपलब्ध जमीन के विषय में लैण्ड यूज सर्टिफिकेट , मास्टर प्लान के अर्न्तगत प्रस्तावित उद्योग स्थल का वर्गीकरण, औद्योगिक उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु डिजाइन डिटेल एवम् वायु प्रदूषण नियन्त्रण प्रस्ताव , कूलिंग उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था एवम् सिंचाई मे उपयोग किये जाने वाले जल के निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्थिति , गैस अथारिटी आफ इण्डिया का अनुबन्ध पत्र एवम् रेन वाटर हार्वेस्टिंग सम्बन्धी प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी है।जिसके समबन्ध में विवरण निम्नवत् है।

उत्तर ः– उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग द्वारा पूर्व में 50 एकड़ भूमि प्रस्तावित उद्योग हेतु आवश्यक थी किन्तु आवश्यक कारणों से ग्रिड निर्माण न करने के कारण वर्तमान में मात्र 12 एकड भूमि उद्योग हेतु आवश्यक थी जिसके विरूद्ध उद्योग द्वारा 13 एकड़ भूमि कयकर ली गयी है। भू–प्रयोग प्रमाण पत्र हेतु एस0 डी0 एम0 को आवेदन किया गया है भू प्रयोप प्रमाण पत्र लगभग 20 दिनों के अन्दर बोर्ड में जमा कर दिया जायेगा। उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग से जनित होने वाले फ्लोर वाशिंग/ औद्योगिक एवम् कूलिंग उत्प्रवाह को शुद्धिकृत कर आंशिक रूप से रिसाइकिल किया जायेगा तथा अवशेष उत्प्रवाह को उद्योग परिसर में गार्डेन , ग्रीन बेल्ट आदि हेतु सिंचाई प्रयोजन में प्रयोग किया जायेगा।परिसर के बाहर उत्प्रवाह ड्रेन में निस्तारित नहीं किया जायेगा।इस लिए सिंचाई या अन्य किसी विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक नहीं है। जल एवम् वायु प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी डिजाइन डिटेल शीघ्र ही बोर्ड में जमा किये जाने हेतु आश्वासन दिया गया । उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि गैस अथारिटी आफ इण्डिया एवम् उद्योग के मध्य गैस सप्लाई किये जाने हेतु अनुबन्ध हो गया है जिसे बोर्ड में शीघ्र जमा किया जायेगा।

रेनवाटर हार्वेस्टिंग सम्बन्धी प्रस्ताव भी शीघ्र बोर्ड में जमा किया जाना सूचित किया गया। उद्योग प्रतिनिधि द्वारा सम्बन्धित जल/वायु प्रदूषण नियन्त्रण डिटेल , गैस अथारिटी आफ इण्डिया का अनुबन्ध , रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रस्ताव आदि अभिलेख जमा करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

प्रश्न 3 उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के कार्मिक श्री इन्द्र पाल , टंकक लिपिक द्वारा उद्योग में रोजगार दिये जाने एवम् विद्युत वितरण तथा लाभावन्वित होने वाले ग्राम / उद्योग कार्मिक की स्वास्थ सम्बन्धी उपाय आदि विषय में समुचित जानकारी चाही गयी ।

उत्तर ः– इस सम्बन्ध में उद्योग प्रतिनिधि द्वारा द्वारा बताया गया कि उद्योग द्वारा डायरेक्ट एवम् इनडायरेक्ट 700 लोगो को रोजगार दिया जायेगा। उद्योग को जमीन विकय करने वाले किसान के परिवार में दो लोगों को रोजगार दिया जायेगा। निर्माणाधीन अवधि में लगभग 500 लोग रोजगार से लाभान्वित होगे। उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि विद्युत वितरण का कार्य उद्योग द्वारा स्वयं किया जायेगा। तथा लगभग 200 ग्रामों को विद्युतीकरण से लाभान्वित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। उद्योग में कार्य करने वाले कामिकों के स्वास्थ रक्षा हेतु सभी आवश्यक उपाय किये जायेंगे।

उपरोक्त के अलावा उपस्थित जन समूह से अन्य कोई आपत्ति या सुझाव समिति के सदस्यों के समक्ष प्राप्त नहीं हुए।

प्रस्ताव पर समग्र विचारोपरान्त उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित उद्योग के सम्बन्ध में वॉछित अभिलेख जल/वायु प्रदूषण नियन्त्रन सम्बन्धी डिजाइन डिटेल , उद्योग से जनित औद्योगिक/ कूलिंग उत्प्रवाह परिसर से

AEE

बाहर किसी नदी/ जलाशय / भूमि पर निस्तारित न करने सम्बन्धी लिखित अभिलेख , भू–प्रयोग प्रमाण पत्र , गैस आथरिटी आफ इण्डिया का अनुबन्ध पत्र एवम् गैस अथारिटी आफ इण्डिया को बोर्ड द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में वितरण हेतु अनुमति आदि दस्तावेज कार्यालय में एक माह के अन्दर प्रस्तुत करने की शर्त के साथ लोक सुनवाई समिति द्वारा सर्व सम्मति से मे0 श्रिया इन्र्जी , ग्राम ः चकदादर , जनपद रायबरेली स्थित प्रस्तावित स्थल प्रथम दृष्टया उपयुक्त होने का अनुमोदन करते हुए सर्शत अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की गयी।

(आशीष श्रीवास्तव)	(बी0 एन0 सिंह)	(बी0 के0 अस्थाना)
कर अधीक्षक	महा प्रबन्धक	सहायक पर्यावरण अभियन्ता
नगर पालिका परिषद,	जिला उद्योग केन्द	उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
रायबरेली	रायबरेली	रायबरेली

डा०चरन जीत सिंह बख्शी
जिलाधिकारी
रायबरेली

प्रतिलिपि ः सदस्य सचिव महोदय , उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड , लखनऊ को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मे0 श्रेया इनर्जी लि0 ग्रा. चकदादर, ब्लाक–अमॉवा, तहसील–सदर, जनपद–रायबरेली द्वारा गैस पर आधारित 280 मेगावाट क्षमता का पावर प्लान्ट स्थापित किये जाने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के पूर्व सम्पन्न लोक सुनवाई हेतु उपस्थिति का विवरण।

दिनॉक 10–06–2009 स्थान– कलेक्ट्रेट, बचत भवन, रायबरेली

क. स.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1	[illegible]	[illegible], रायबरेली	[illegible]
2	वी. एन. सिंह	G.M., DIC	[illegible]
3	एस० एस० खान	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible] रायबरेली	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	" "	[illegible]
9	प्रमोद दीक्षित (कम्पनी)	" "	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	गोपीचन्द SE	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible] AE	[illegible]	[illegible]
16	जय प्रकाश AE	जल [illegible]	[illegible]
17	छोटे लाल	पहारी [illegible]	छोटे लाल
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	वीरेन्द्र कुमार	[illegible]	वीरेन्द्र कुमार
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	रमेश	[illegible]	रमेश

25	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]	
27	[illegible]	[illegible]	
28	[illegible]	[illegible]	
29	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30	S.K. Jha	[illegible]	[illegible]
31	[illegible]	[illegible]	[illegible]
32	Saurabh Tewari	Shriya	[illegible]
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

हिन्दुस्तान लखनऊ संस्करण में दिनांक 05/5/09 को प्रकाशित

उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

विभूति खण्ड, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ

पर्यावरणीय अधिसूचना दिनांक 14.9.2006 के अन्तर्गत लोक सुनवायी हेतु आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्रेया इनर्जी लि., ग्राम चकदार ब्लाक अमॉवा, तहसील सदर, रायबरेली द्वारा गैस पर आधारित 280 मेगावाट क्षमता का पावर प्लान्ट स्थापित किये जाने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव बोर्ड को प्रेषित किया गया है।

राज्य बोर्ड द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत मेसर्स श्रेया इनर्जी लि., रायबरेली को उक्त परियोजना की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व लोक सुनवाई की सूचना जारी किया जाना आवश्यक है एवं इस सूचना के अन्तर्गत क्षेत्रीय आम जनता को किसी भी आपत्ति/सुझाव हेतु 30 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। परियोजना सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है।

1. कार्यालय जिलाधिकारी, रायबरेली।
2. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रायबरेली।
3. क्षेत्रीय कार्यालय, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी-ब्लाक, इन्दिरानगर आवास विकास कालोनी, रायबरेली।
4. उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतः समस्त सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे उक्त परियोजना के पर्यावरण स्वीकृति सम्बन्धी प्रकरण के निस्तारण के लिए जिला कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन, रायबरेली में दिनांक 10.06.09 को दोपहर 12.00 बजे से लोक सुनवाई की कार्यवाही निर्धारित की गई है, जिसमें उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव, विचार, टिप्पणियां एवं आपत्ति लिखित रूप से प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर दे सकते हैं।

सदस्य सचिव